भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1680

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

सर्व शिक्षा अभियान के तहत खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए निधि का आवंटन और उपयोग

†1680. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत खेल और शारीरिक शिक्षा घटक के तहत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश सहित देश भर में जिलावार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के अनुसार वर्गीकृत कितने सरकारी स्कूलों को खेल उपकरणों के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त स्कूलों के लिए अनुदान राशि का प्रभावी उपयोग और समय पर इसका वितरण सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं और उक्त निधि का कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार खेल उपकरणों के लिए निधि में वृद्धि करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश भर के स्कूलों में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूलों में खेल अवसंरचना में सुधार करने में उक्त पहल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत खेल और शारीरिक शिक्षा घटक के अंतर्गत अनुमोदित और उपयोग किए गए बजट का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): समग्र शिक्षा के अंतर्गत खेल उपकरणों के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले आंध्र प्रदेश सहित देश भर के सभी श्रेणियों के सरकारी स्कूलों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू की जाती है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के साथ फिर से डिजाइन और अनुकूलित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को क्षेत्र और श्रेणी से परे एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच मिले। इस योजना के मानदंडों के अनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास सहित उनकी आवश्यकताओं/प्राथमिकता के अनुसार तैयार की गई वार्षिक योजनाओं के आधार पर धनराशि जारी की जाती है और उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होती है, जिनका मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा किया जाता है। इस योजना में खेल और शारीरिक शिक्षा घटक शामिल हैं जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए खेल उपकरणों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। सरकारी स्कूलों में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से खेल उपकरणों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, योजना के नए मानदंडों के अनुसार, यदि उस स्कूल के कम से कम 2 छात्र खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में पदक जीतते हैं, तो स्कूलों को प्रति स्कूल 25000 रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान सरकारी स्कूलों के लिए खेल अनुदान के अंतर्गत 729.25 करोड़ रुपये के परिव्यय को अनुमोदन दिया गया है।

इस योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों के लिए गैर-कार्यात्मक स्कूल उपकरणों के प्रतिस्थापन और खेल सामग्री, खेल उपकरण, खेल आयोजनों के आयोजन, प्रयोगशालाओं, बिजली शुल्क, इंटरनेट, जल, शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए उपभोग्य सामग्रियों जैसे अन्य आवर्ती लागतों के लिए वार्षिक आवर्ती स्कूल समग्र अनुदान भी प्रदान किया जाता है। अनुदान की राशि स्कूल में छात्रों की संख्या के आधार पर 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष तक अलग-अलग होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को इन गतिविधियों के लिए स्कूल अनुदान से एक निश्चित राशि अलग रखने की भी सलाह दी जाती है।

इस विभाग ने दिसंबर, **2018** में समग्र शिक्षा के तहत खेल अनुदान के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, जिन्हें अगस्त, **2023** में एनईपी, **2020** की सिफारिश को शामिल करते हुए संशोधित किया गया था। इन दिशानिर्देशों में निधियों के उचित उपयोग, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्कूलों में खेल के बुनियादी ढांचे/खेल के मैदान के अनुरक्षण पर प्रकाश डाला गया है। (https://samagra.education.gov.in/docs/revised_samagra_sports.pdf)।

परिणामों का निदान करने और नीतियों, शिक्षण प्रथाओं और अधिगम में आवश्यक हस्तक्षेप निर्धारित करने के लिए, सरकार विभिन्न मापदंडों के आधार पर विभिन्न आकलन करती है। विभाग द्वारा की गई पहलों के हिस्से के रूप में, देश भर के छात्र स्कूलों में खेल-संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2024 पर स्कूल समुदाय से 8.28 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर, विभाग ने स्कूलों में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई, 2024 तक 'शिक्षा सप्ताह' मनाया और तीसरे दिन को खेल दिवस के रूप में समर्पित किया, जिसमें देश भर में 4.48 करोड़ छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, खेल विभाग के सहयोग से यह विभाग स्कूलों में छात्रों को खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया और फुटबॉल फॉर स्कूल्स (एफ4एस) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।

****

अनुलग्नक -I

सर्व शिक्षा अभियान के तहत खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए निधि के आवंटन और उपयोग के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी लक्ष्मीनारायण द्वारा पूछे गए दिनांक 10.03.25 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1680 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत खेल और शारीरिक शिक्षा घटक के अंतर्गत स्वीकृत बजट का राज्यवार ब्यौरा:

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**खेल एवं शारीरिक शिक्षा घटक के अंतर्गत अनुमोदित बजट**					
		वित्त वर्ष 2019-20	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	37.05	37.05	37.10	37.10	37.10	37.10
2	आंध्र प्रदेश	1632.65	3836.00	3863.40	3888.00	3892.95	3739.05
3	अरुणाचल प्रदेश	259.95	248.30	251.75	250.15	248.70	242.30
4	असम	3704.90	3457.75	3451.75	3446.60	3387.65	3346.40
5	बिहार	6089.80	6106.70	6152.50	6910.25	6915.95	0.00
6	चंडीगढ़	39.40	49.40	24.95	24.95	25.65	24.90
7	छत्तीसगढ	3987.30	3996.95	3997.15	4000.45	4411.93	4005.90
8	दिल्ली	353.29	353.30	346.35	346.90	350.75	334.30
9	दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव	37.50	37.35	37.55	37.40	36.90	36.90
10	गोवा	61.05	39.00	59.70	59.90	0	0
11	गुजरात	3216.85	3220.45	3202.55	0.00	3073.35	3094.80
12	हरियाणा	1492.75	1499.60	1505.75	1519.10	1519.15	1478.95
13	हिमाचल प्रदेश	1419.70	1422.05	1423.95	1425.80	1427.75	1454.10
14	जम्मू और कश्मीर	1980.80	1998.60	1996.90	2074.70	1826.30	1605.59
15	झारखंड	1544.20	2057.59	1820.99	1950.00	2888.15	2890.75
16	कर्नाटक	3339.55	999.55	1460.70	4555.80	474.50	2859.00
17	केरल	527.40	528.30	542.05	402.75	416.65	415.55
18	लद्दाख	83.90	50.09	83.55	83.50	83.80	84.15
19	लक्षद्वीप	4.95	5.50	5.50	4.00	4.40	2.20
20	मध्य प्रदेश	9205.90	9274.70	8093.15	8081.65	7685.90	7717.95
21	महाराष्ट्र	4711.15	0.00	4681.40	4682.80	4677.55	729.00
22	मणिपुर	256.05	261.75	252.30	252.50	253.80	241.25
23	मेघालय	188.00	519.65	520.70	520.35	521.30	60.50
24	मिजोरम	238.15	250.25	236.15	240.90	241.75	241.90
25	नागालैंड	203.00	187.20	187.65	185.75	185.85	185.65
26	ओडिशा	4697.45	4722.35	4634.60	4481.50	4403.90	4398.20
27	पुदुचेरी	49.50	49.25	49.20	49.20	49.35	47.35
28	पंजाब	1827.35	1822.65	1811.50	1821.50	1784.05	1836.55

29	राजस्थान	6956.21	5334.42	7143.31	7261.51	7507.55	7870.60
30	सिक्किम	158.40	86.55	92.30	88.65	88.65	85.60
31	तमिलनाडु	176.40	3424.25	3452.35	3453.50	3474.55	3472.70
32	तेलंगाना	2945.35	2935.10	2952.25	1711.35	1697.40	2847.00
33	त्रिपुरा	206.85	470.70	464.30	471.00	472.45	455.70
34	उत्तर प्रदेश	10755.95	558.75	9622.35	589.75	9637.95	9529.05
35	उत्तराखंड	1462.85	1432.45	1419.70	1415.60	1407.20	1370.65
36	पश्चिम बंगाल	6188.65	6206.80	6342.45	6347.20	6131.85	6183.10
कुल योग		**80040.20**	**67480.35**	**82219.80**	**72672.06**	**81242.68**	**72924.69**

स्रोत: प्रबंध पोर्टल (दिनांक 04.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत खेल और शारीरिक शिक्षा घटक के अंतर्गत उपयोग का राज्यवार ब्यौरा:

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खेल और शारीरिक शिक्षा घटक के अंतर्गत उपयोग					
		वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37.05	37.00	35.32	37.10	37.10	37.10
2	आंध्र प्रदेश	190.50	0.00	0.00	832.66	2689.51	1638.89
3	अरुणाचल प्रदेश	259.95	177.55	251.75	250.15	248.70	0.00
4	असम	3445.43	3446.20	3286.78	3337.04	3387.65	3145.16
5	बिहार	1436.63	0.66	562.32	2768.87	4605.95	0.00
6	चंडीगढ़	39.40	49.15	24.95	24.80	25.40	14.94
7	छत्तीसगढ	114.13	1154.25	3997.15	4000.45	4411.93	0.00
8	दिल्ली	115.45	16.73	325.53	324.02	350.75	22.43
9	दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	36.84	25.73	37.15	37.35	36.90	0.00
10	गोवा	0.00	39.00	0.00	12.09	0	0
11	गुजरात	2167.09	0.00	3053.11	0.00	3073.35	61.00
12	हरियाणा	0.00	1499.60	1505.75	1337.28	1519.15	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	1419.70	1402.88	1423.95	1425.80	1427.75	882.66
14	जम्मू और कश्मीर	1781.35	1998.60	1996.90	1821.50	1826.30	0.00
15	झारखंड	84.00	0.00	909.61	1910.50	2888.15	114.42
16	कर्नाटक	0.90	530.06	49.77	0.00	474.50	30.70
17	केरल	0.00	239.55	327.32	241.65	208.35	0.00
18	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	83.50	83.80	16.20
19	लक्षद्वीप	4.95	5.50	5.50	4.00	4.40	0.50
20	मध्य प्रदेश	7903.45	8432.50	3386.43	178.52	0.00	2731.95
21	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	14.96	386.15	0.00
22	मणिपुर	146.24	261.75	252.30	252.49	253.80	95.36
23	मेघालय	0.00	149.89	0.00	0.00	299.50	7.50
24	मिजोरम	236.15	250.25	236.15	240.90	0.00	8.60
25	नागालैंड	203.00	10.00	28.32	181.99	72.75	6.96
26	ओडिशा	4695.95	4423.14	4056.99	3839.35	3757.04	1974.14
27	पुदुचेरी	49.20	49.25	49.20	49.20	49.35	47.35
28	पंजाब	1773.37	1822.65	1811.45	1821.50	1784.05	968.97
29	राजस्थान	2429.81	5160.70	7108.62	7118.32	7409.04	0.00
30	सिक्किम	158.40	86.55	92.30	88.65	88.65	42.38
31	तमिलनाडु	176.40	3422.25	3276.40	3364.95	3474.55	29.90
32	तेलंगाना	725.70	0.00	0.00	1651.85	1670.34	2456.25
33	त्रिपुरा	206.85	470.70	464.30	471.00	472.45	455.70
34	उत्तर प्रदेश	9963.47	537.02	9036.97	588.50	9637.95	1132.40

35	उत्तराखंड	1386.33	1328.32	754.42	1074.32	1407.20	7406.06
36	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	6342.45	6322.80	6131.85	0.00
कुल योग		**41187.68**	**37027.43**	**54689.16**	**45708.06**	**64194.31**	**23327.49**

स्रोत: प्रबंध पोर्टल (दिनांक 04.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

अनुलग्नक -II

सर्व शिक्षा अभियान के तहत खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए निधियों के आवंटन और उपयोग के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी. लक्ष्मीनारायण द्वारा पूछे गए दिनांक 10.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1680 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा के अंतर्गत खेल उपकरणों के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले आंध्र प्रदेश सहित देश भर के सभी श्रेणियों के सरकारी स्कूलों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	329	329
आंध्र प्रदेश	10616	45000
अरुणाचल प्रदेश	2848	2821
असम	42119	44537
बिहार	33128	75415
चंडीगढ़	111	113
छत्तीसगढ	48292	48469
दिल्ली	2634	2714
दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	396	377
गोवा	87	0
गुजरात	0	34154
हरियाणा	6796	14465
हिमाचल प्रदेश	15328	15328
जम्मू और कश्मीर	22226	22315
झारखंड	15052	35438
कर्नाटक	0	1898
केरल	4602	2369
लद्दाख	807	818
लक्षद्वीप	36	35
मध्य प्रदेश	72817	9217
महाराष्ट्र	0	258
मणिपुर	2831	2816
मेघालय	0	5534
मिजोरम	2558	2209
नागालैंड	1919	291
ओडिशा	38051	33858
पुदुचेरी	412	412
पंजाब	19135	18898
राजस्थान	68127	67360
सिक्किम	766	766

तमिलनाडु	36073	37484
तेलंगाना	25291	26135
त्रिपुरा	4248	4246
उत्तर प्रदेश	2354	136698
उत्तराखंड	12840	16317
पश्चिम बंगाल	5674	81495
कुल	**498503**	**790589**

स्रोत: प्रबंध पोर्टल (दिनांक 04.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

तालिकाओं (अनुलग्नक-I और II) में आंकड़ा 'शून्य' यह दर्शाता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने या तो प्रस्ताव नहीं भेजा/उपयोग नहीं किया गया या वित्तीय वर्ष पूरा न होने या किसी प्रशासनिक/तकनीकी मामलों के कारण रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इसका डेटा उपलब्ध नहीं है।

****